Vol. XVII(4) 2017

RNI No. MPBill/2001/7690
ISSN 0973-3833

A JOURNAL OF ASIA FOR DEMOCRACY AND DEVELOPMENT

(ए जर्नल ऑफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डवलपमेन्ट)

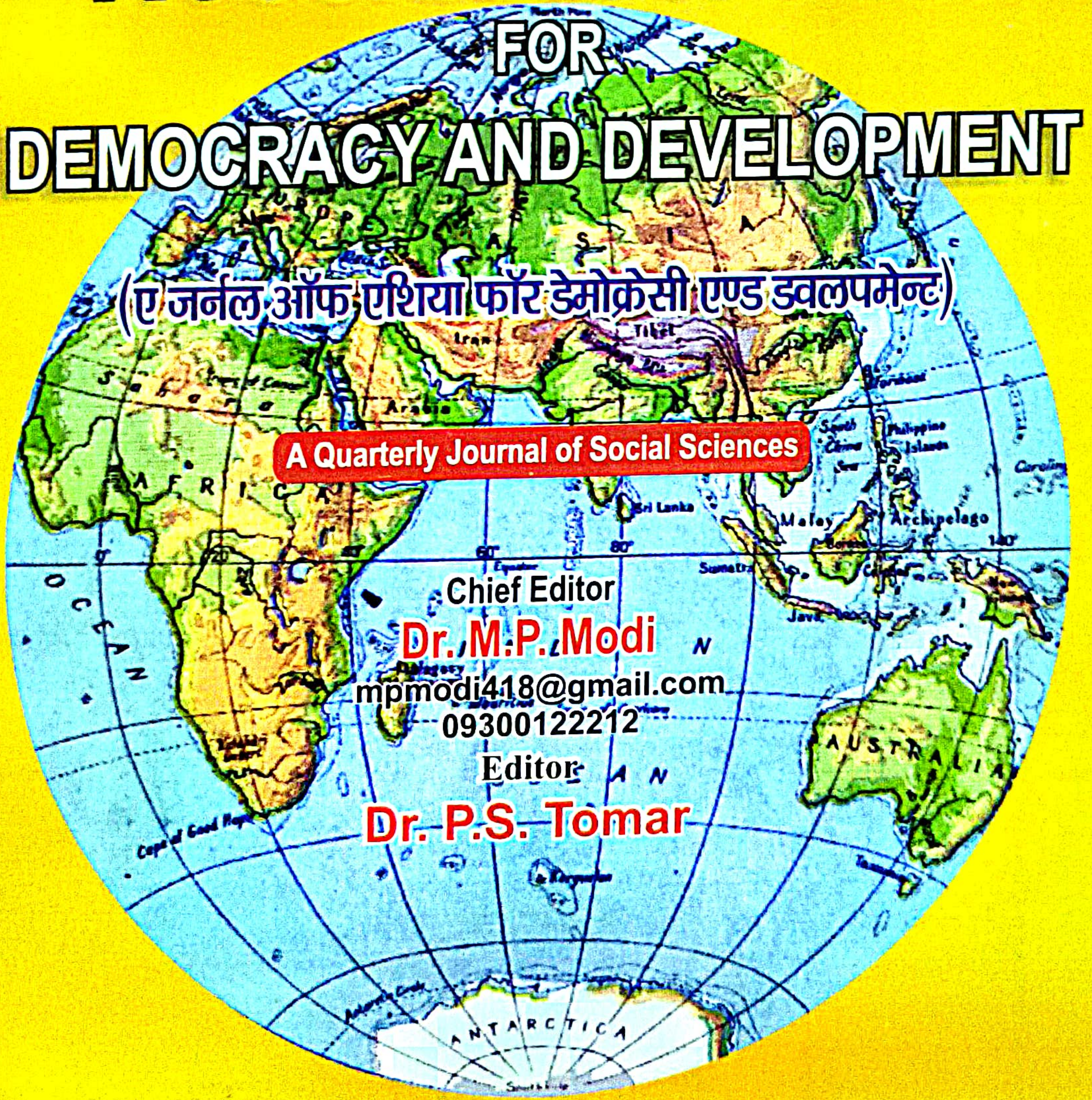

A Quarterly Journal of Social Sciences

Chief Editor
Dr. M.P. Modi
mpmodi418@gmail.com
09300122212

Editor
Dr. P.S. Tomar

Published by
CPDCU
Council for Peace, Development and Cultural Unity
Modi Niwas, Jain Mandir Road, Morena-476001, INDIA
Web. : www.ajadad.org

Volume - XVII, No. 04

RNI No. MPBill/2001/7690

ISSN 0973-3833

A JOURNAL OF ASIA

FOR

DEMOCRACY AND DEVELOPMENT

(ए जर्नल ऑफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डवलपमेन्ट)

A Quarterly Journal of Social Science

Pear Revied refared research jounral

Chief Editor

Dr. M.P. Modi

mpmodi418@gmail.com

Mob.: 9300122212

Editor

Dr. P.S. Tomar

ajadadmorena@gmail.com

Published by

The Council for Peace, Development and Cultural Unity

Modi Niwas, Jain Mandir Road, Morena-476001, INDIA

Cpdcu1994@gmail.com, web - www.ajadad.org

CONTENTS

Articles/Re search Papers

1	Unity of Asia and Africa- India's Foreign Policy	Deveshi Jain	09–13
2	Is Plato's Ethics Relevant to the Modern World? An Examination with Special Reference to Plato's Republic	Dr. Yamini Sahay	14–18
3	Relationship between Capital Structure and Performance of Non- Financial Companies Listed In the Nairobi Securities Exchange	Roopali verma	19–31
4	India's Foreign Policy in the changing world Scenario	Dr Deepika Gupta	32
5	Indian foreign policy of Narendra Modi	Rouf Ahmad Bhat	33
6	India-Pakistan Relations (1971-1999)	Ajaz Ahmad Khan	34
7	US H1 B visa woes: Impact on Indian ITsector	Dr. Praveen Ojha	35–39
8	Perspectives on Environmental Conservation Vis-à-vis to Modiji's Swachch Bharat Abhiyan	Dr. Mamta Garg	40–42
9	Water Conservation	Dr. Rajula Albert	43–45
10	राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा हित और भारत की विदेश नीति के विकल्प	डॉ. शशि द्विवेदी	46–52
11	भारत की विदेश नीति में ऐतिहासिक परम्पराओं की झलक	डॉ0 शुक्ला ओझा	53–56
12	21वीं सदी में भारतीय विदेश नीति रू चुनौतियाँ एवं अवसर	डॉ राहिल सत्यानिधान	57–60
13	भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षताः विश्लेषणात्मक अध्ययन (1947–1964)	डॉ. बन्दना बाजपेयी	61–63
14	जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत की विदेशनीति (विश्लेषणात्मक अध्ययन)	डॉ. आभा बाजपेयी	64–66
15	विदेश नीति इंदिरा से राजीव गांधी तक	ऋषि कुमार	67–73
16	भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व	डॉ. मुक्ता जैन	74–76
17	भारत में पंचायती राज व्यवस्था	डॉ0 शकुन्तला	77–81
18	भारत में समाजवादः – कल, आज और कल	डॉ. श्रीमती प्रेमलता मिश्रा	82–86
19	भारत के सामाजिक आर्थिक और वाणिज्य स्वरूप पर वर्तमान प्रधानमंत्री का प्रभाव	डॉ. ओ. पी. शर्मा, डॉ. एस.एन. शर्मा	87–89
20	बुरहानपुर के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक स्थलों का शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन	डॉ. शकील अहमद अन्सार	90–100
21	सामाजिक न्याय व अन्य पिछड़ा वर्ग उपश्रेणीकरण	गोविन्द प्रसाद सारस्वत	101–106
22	बदलते परिवेश में प्रशासनीक सुधारों की भूमिका का एक अध्ययन	डॉ.शानो खान	107–114
23	राष्ट्र निर्माण में संगीत की भूमिका	श्रीमती अर्चना दीवान, डॉ. श्रीमती कविता ठक्कर	115–117

A JOURNAL OF ASIA FOR DEMOCRACY AND DEVELOPMENT-VOL-XVII, NO.-04, 2017
ISSN 0973-3833

सामाजिक न्याय व अन्य पिछड़ा वर्ग उपश्रेणीकरण

गोविन्द प्रसाद सारस्वत*

समाज में मौजूद विभिन्न वर्गो को अवसर की समानता तथा विकास के लिये उपयुक्त अवसरों की प्राप्ति के लिये सामाजिक न्याय का विचार राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामाजिक न्याय को परिभाषित करते हुये क्रिष्टीन मोलर ने लिखा है सामाजिक न्याय का अर्थ है कि कोई बिछावन पर भूखा न जाये कोई भी बिना शरण या स्वास्थ्य व देखरेख के न रहे। पॉल चार्ज – सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी लोगों के बीच पूर्ण एवं यथार्थ समानता[1] भारत में प्राची वर्ण, जाति व्यवस्था तथा संसाधनों के असमान स्वामित्व व वितरण के कारण 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक सामाजिक विषमता व भेदभाव चरम स्तर तक पहुँच चुका था। आजादी के आंदोलन में शामिल विभिन्न दलित, वंचित पिछड़ी जातियों तथा वर्गो के लोगों को स्वाधीन भारत में इस सामाजिक विषमता, भेदभाव की संत्रास से मुक्ति मिलने की उत्कट आशा थी।

संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं ने इन लोगों की उम्मीदों के पूरा करते हुये संविधान के विभिन्न भागों में (अनु. 15, 16, 17, 46, 331, 332, 334, 338, 340 आदि) ऐसे वंचित वर्गो के लिये विशेष रक्षाउपाय तथा आरक्षण की व्यवस्था की। संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये किये गये विभिन्न रक्षाउपाय – आरक्षण तुरंत बिना किसी विरोध के लागू हो गये मगर ओबीसी आरक्षण पर एकराय कायम नहीं हो पाई। इस दिशा में अनु. 340 के तहत 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में ओबीसी आयोग का गठन भी किया गया तथापि ओबीसी आरक्षण का आधार जाति हो अथवा वर्ग इस बारे में ये आयोग भी किसी नतीजे पर न हीं पहुँच पाया[2] 1963 में बालाजी व्ही/एस मैसूर वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ेपन का आधार वर्ग को माना[3] जिससे यह मामला और अधिक उलझ गया। राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण लागू होने की संभावनायें धूमिल होती देख विभिन्न राज्यों ने अपने स्तर पर ओबीसी आयोगों का गठन कर ओबीसी वर्ग को लाभ देने के कदम उठाये।

1978 में बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल की अध्यक्षता में गठित दूसरे ओबीसी आयोग ने 1980 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण का आधार जाति को बताया[4] 10वर्ष बाद 1990 में इस रिपोर्ट को लागू किया गया जिसकी वैद्यानिकता पर कई सवाल खड़े हुये मगर अंतत 1992 में इद्रा साहनी व्ही/एस भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने जातिगत आधार पर दिये गये ओबीसी आरक्षण को वैद्य ठहराया।[5] इसके बाद 1993 में राष्ट्रीय ओबीसी आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक स्थायी आयोग का गठन कर ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की विधिवत शुरूआत की गई।[6] इस तरह ओबीसी वर्ग में शामिल विभिन्न जातियॉ आरक्षण आदि सुविधाओं का लाभ उठा रही है। इस दौरान आरक्षण के विभिन्न प्रावधानों में रही कमियों तथा ओबीसी वर्ग की विभिन्न जातियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर में मौजूद असमानताओं के कारण ओबीसी आरक्षण के लाभ के असमान वितरण तथा ओबीसी अगड़े व ओबीसी पिछड़े जैसी समस्या सामने आई और ओबीसी आरक्षण के पुनरीक्षण करने व अधिक लाभ प्राप्त जातियों को ओबीसी आरक्षण से बाहर करने की मांगे भी उठाई गई मगर विभिन्न राजनीतिक, जातीय व आर्थिक कारणों से इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तब इसके दूसरे विकल्प के तौर पर ओबीसी वर्ग को विभिन्न उपश्रेणियों में बॉटकर ओबीसी आरक्षण के लाभ के समतामूलक वितरण की मांग की गई और इसी दिशा में केन्द्रीय कैबिनेट ने दिनांक 23.08.2017 को नवीन ओबीसी आयोग के गठन तथा उसे ओबीसी उपश्रेणीकरण का कार्य सौंपने की घोषणा की है।[7]

* व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, राजस्थान

अन्य पिछड़ावर्ग (ओबीसी) का उपश्रेणीकरण –

दिनांक 23 अगस्त 2017 को केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा अनुच्छेद – 340 के अन्तर्गत एक आयोग का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है साथ ही प्रस्तावित आयोग को निम्न कार्य सौंपे गये हैं –[8]

1. केन्द्रीय सूची में शामिल ओबीसी वर्ग के संदर्भ में ओबीसी में शामिल विभिन्न जातियों/समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की जॉच करना।
2. पिछड़े वर्ग के भीतर उपश्रेणीकरण हेतु क्रियाविधि मापदण्ड व मानकों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करना।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में संबंधित जातियों/समुदायों/उपजातियों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित परश्रेणी में श्रेणीकृत करने की शुरूआत करना।

वस्तुतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की दशा व कठिनाईयों के अन्वेषण और उनमें सुधार के उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग की नियुक्ति का अपबन्ध किया गया है। पूर्व में सन् 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में तथा सन् 1978 में बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल की अध्यक्षता में ऐसे 2 आयोगों का गठन किया जा चुका है।

नवगठित आयोग व पूर्ववर्ती आयोगों के कार्यक्षेत्र में अन्तर

काका कालेलकर आयोग व मण्डल आयोग के कार्यक्षेत्र में मुख्यत : –

1. सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान व उसे परिभाषित करना।
2. सरकारी सेवा में समुचित प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण सहित इस वग के उत्थान हेतु सिफारिश करना था।

वही इस नवगठित आयोग का कार्यक्षेत्र मुख्यत ओबीसी वर्ग के उपश्रेणियों में विभाजन के मापदण्ड व क्रियाविधि निर्धारित करना होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग के उपश्रेणीकरण (उपविभाजन) का इतिहास

केन्द्रीय स्तर पर हालांकि ओबीसी वर्ग का उपविभाजन नवीन कदम है तथापि राज्य स्तर पर विभिन्न राज्यों में ओबीसी को विभिन्न उपश्रेणियों में बांटा जाता रहा है।

1. तमिलनाडु में ओबीसी आरक्षण को 3 उपश्रेणियों में बांटा गया है –[9]
   ओबीसी 26.5 प्रतिशत ओबीसी (मुस्लिम) 3.5 प्रतिशत एमबीसी 20 प्रतिशत
2. आंध्रप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 5 उपश्रेणियों में विभाजित किया गया है।
   बीसी(ए)–7 प्रतिशत, बीसी(बी)– 10 प्रतिशत, बीसी(सी)– 1 प्रतिशत, बीसी(डी)–7 प्रतिशत, बीसी(ई)–4 प्रतिशत,
3. बिहार में ओबीसी वर्ग की 3 श्रेणियॉ हैं।
   ओबीसी (1) –18 प्रतिशत, ओबीसी(2) – 12 प्रतिशत, ओबीसी(महिला) – 3 प्रतिशत
4. जम्मू कश्मीर में ओबीसी वर्ग के आरक्षण की 3 उपश्रेणियॉ हैं –
   डब्ल्यू & यूपी वर्ग 2 प्रतिशत, LAC निवासी – 3प्रतिशत, दुर्गमस्थल निवासी – 20प्रतिशत
5. महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण की 2 उपश्रेणियॉ हैं –
   SBC – 2 % , OBC – 19 %
6. पुदुचेरी में ओबीसी आरक्षण 3 उपश्रेणियों में विभक्त है –
   MBC- 20% , OBC – 13%, BC V^{a}kbc 1%
7. राजस्थान में भी ओबीसी आरक्षण को 2 उपश्रेणियों में विभाजित किया जा रहा है।
   SBC – 5%, OBC – 21%

इस प्रकार ओबीसी का उपश्रेणीकरण कोई नया विचार नहीं है बल्कि विभिन्न राज्यों में इसे लम्बे समय से क्रियान्वित किया जा रहा है तथापि अखिल भारतीय स्तर पर इसे लागू करने का प्रयास पहली बार हो रहा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के उपश्रेणीकरण की जरूरत (आवश्यकता) क्यों ?

1993 में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के समय ओबीसी वर्ग में जातियाँ शामिल थी उसके बाद निरंतर इस सूची में नई जातियों को शामिल किये जाने से वर्तमान में यह संख्य 2479 हो चुकी है। तथापि पिछले 24 वर्षो (1993–2017) में एक भी जाति को इस सूची से हटाने की कार्यवाही नहीं हुई है। वस्तुतः मण्डल आयोग द्वारा ओबीसी वर्ग की सूची के समय–समय पर पुनरीक्षण की सिफारिश पर अभी तक कभी अमल ही नहीं किया गया जिसके कारण ओबीसी की सूची के अतिभारण (संख्यात्मक वृद्धि) तथा आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की जटिल समस्या उभरकर सामने आ रही है।

कारण –

(1) ओबीसी आरक्षण के लाभ का समानतापूर्वक बंटवारा करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ इस वर्ग में शामिल सभी जातियों को बराबरी के साथ मिले इसी भावना के साथ मण्डल आयोग राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम (1993)[10] के द्वारा विभिन्न जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया था तथापि पिछले 20 वर्षो में आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग की कुछेक जातियों तक ही सीमित हो गया है। जैसे –

(अ) राजस्थान लोकसेवा आयोग की वर्श 2012 से 2015 की रिपोर्ट के अनुसार[11] आयोग को विभिन्न भर्तिया के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में ओबीसी (नोन क्रीमीलेयर) वर्ग के अभ्यार्थियो का हिस्सा 37.63 प्रतिशत रहा वहीं SBC वर्ग का आवेदन पत्रों मं हिस्सा – 2.36 प्रतिशत रहा। आयोग द्वारा इन तीन वर्षो में कुल 26353 पदों पर भर्ती पूरी की गई जिसमं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों का उनके लिए आरक्षित 21 प्रतिशत पदों के मुकाबले 44.21 प्रतिशत पदों पर चयन हुआ वहीं SBC वर्ग के अभ्यार्थियों का चयन 2.50 प्रतिशत पदों पर हुआ जबकि वर्ष 2007 में ओबीसी के अभ्यार्थियों का चयन मात्र 24 प्रतिशत पदों पर ही हुआ था। इस रिपोर्ट से जहॉ ओबीसी व SBC वर्ग की शैक्षणिक व सरकारी सेवा के क्षेत्र में भागीदारी की निरंतर बढोत्तरी का पता चलता है।

(ब) दूसरी ओर राजस्थान ओबीसी आयोग की वर्श 2001 से 2012 की रिपोर्ट[12] – ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की कटु सच्चाई को उजागर करती है। राजस्थान ओबीसी आयोग के अनुसार वर्ष 2001 से 2012 के बीच अन्य पिछड़ा वर्ग के सरकारी सेवा में चयनित कुल अभ्यार्थियों में से 75 प्रतिशत अभ्यर्थी मात्र 5 जातियों के ही थे जबकि ओबीसी वर्ग की सूची में कुल 81 जातियॉ शामिल थी साथ ही ओबीसी की 9 जातियों का सरकारी सेवा में एक भी अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाया। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ओबीसी वर्ग को तो आरक्षण का सकारात्मक लाभ मिल रहा है मगर इस लाभ के वितरण में भारी असमानता होने से वास्तविक पिछडो तक यह लाभ नहीं पहुॅच पा रहा है।

(ग) राजस्थान विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग की एक जाति (जाट) द्वारा अपनी जनसंख्या (1931 की जातीय गणना के अनुसार) 9प्रतिशत के मुकाबले 17प्रतिशत विधानसभा सीटों (34सीट) पर विजय प्राप्त करना भी ओबीसी वर्ग की विभिन्न जातियों के मध्य मौजूद राजनीतिक भागीदारी की भारी असमानता को प्रकट करता है।

(2) ओबीसी की सूची में से सम्पन्न जातियों को निकालने मं असमर्थता के विकल्प के रूप में आदर्श रूप में तो ओबीसी की सूची का समय समय पर पुनरीक्षण कर लाभ प्राप्त संपन्न जातियों को इससे पृथक किया जाना थ मगर राजनीति दबाव दलीय वोट बैंक तथा संपन्न जाति के अन्दर भी आर्थिक आधार पर कमजोर व गरीब लोगों के हितों के मद्देनजर अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में से किसी जाति को बाहर निकालना दुष्कर जान पडता है अतः इसके विकल्प के तौर पर ओबीसी वर्ग को विभिन्न उपश्रेणियों में बांटकर अधिक लाभ प्राप्त जातियों व न्यून लाभ प्राप्त जातियों को अलग–अलग किया जा सकता है।

ओबीसी श्रेणी विभाजन (उपश्रेणीकरण) की क्रियाविधि (कैसे) व मापदण्ड

यद्यपि अभी तक नवीन ओबीसी आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है इस कारण आयोग द्वारा ओबीसी उपश्रेणीकरण के लिए कौन सी क्रियाविधि प्रयोग में लायी जायेगी इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तथापि ऐसे उपश्रेणीकरण के लिए निम्न सुझावों का लाभ उठाया जा सकता है।

(1) सामाजिक व आर्थिक गणना 2011 के आंकड़े घोषित करना – पूर्ववर्ती दोनों ओबीसी आयोगों (कालेलकर आयोग, मण्डल आयोग) ने भी अपनी रिपोर्ट में जातिगत जनगणना के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं होने पर अफसोस जताते हुए यथाशीघ्र ऐसे आंकड़े उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया था [13]

अब चूंकि वर्ष 2011–12 में सामाजिक व आर्थिक गणना में जातिगत गणना के नवीनतम आंकड़े सरकार के पास मौजूद हैं अतः सरकार को ये आंकड़े ओबीसी आयोग को उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि ओबीसी की विभिन्न जातियों की जनसंख्या में हिस्सेदारी का सरकारी नौकरी व शैक्षणिक संस्थानों में उनकी भागीदारी से आनुपातिक मिलान किया जा सके।

(2) केन्द्र व विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक हिस्सेदारी के नवीनतम आंकड़े प्राप्त करना – केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न सरकारी नौकरियों में ओबीसी की विभिन्न जातियों के वास्तविक प्रतिनिधित्व के नवीनतमक आंकड़े ओबीसी आयोग को प्राप्त करने चाहिए। पूर्व में मण्डल आयोग ने भी इस तरह के आंकड़े प्राप्त करने का प्रयास किया था मगर समय की व संसाधनों की कमी के कारण से ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाये[14] मगर वर्तमान समय में सूचना तकनीकी की मदद से ऐसे आंकड़े जुटाना आसान व संभव है इस प्रकार के वास्तविक आंकडे प्राप्त होने से एक और जहॉ ओबीसी आरक्षण का लाभ किस जाति को किस मात्रा तक प्राप्त हुआ है इस तथ्य की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। दूसरी और ओबीसी उपश्रेणीकरण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने पर ये आंकड़े बचाव का कार्य करेंगें।

(3) विभिन्न जातियों के शैक्षणिक प्रतिनिधित्व के नवीनतम आंकड़े चूकि अनुच्छेद 15 ,16, 340 में ओबीसी आरक्षण का मापदण्ड शैक्षिक व सामाजिक पिछड़ेपन को माना गया है अतः अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल विभिन्न जातियों की शैक्षणिक स्थति के अद्यतन आंकड़ों का एकत्रीकरण व उनकी तुलना भी जरूरी है। पूर्व में मण्डल आयोग ने ओबीसी वर्ग के पिछड़ेपन के लिए 11 मापदण्ड तय किये थे जिसमें से 3 शैक्षणिक पिछड़ेपन से संबंधित थे[15]

(1) वे जाति/वर्ग जिनके 5–15 वर्ष के ऐसे बच्चों का औसत जो कभी विद्यालय नहीं गये राज्य के कुल औसत से 25 प्रतिशत अधिक है।

(2) वे जाति/वर्ग जिनमें 5– 15 वर्ष के एसे बच्चों की ड्रॉप आउट की दर (विद्यालय छोड़ने राज्य के औषत से 25प्रतिशत अधिक है।)

(3) वे जातियॉं/वर्ग जिनमें मैट्रिक पास का अनुपात राज्य औसत से 25 प्रतिशत कम है। चूंकि ये मापदण्ड 1978–80 के समय निर्धारित किये गये थे जो वर्तमान में बिल्कुल अप्रासंगिक है। ओबीसी वर्ग में शामिल विभिन्न जातियों के शैक्षित पिछड़ेपन की तुलना की वैकल्पिक विधि निम्नानुसार हो सकती है।

(क) ओबीसी वर्ग में शामिल जिन जातियों के विद्यार्थियों के 10 वीं व स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में काफी न्यून हो उन्हें शैक्षणिक अतिपिछडा माना जाये।

(4) कृशि भूमि के स्वामित्व के आधार पर तुलना –

पर्याप्त मात्रा में सिंचित/अर्धसिंचित कृषि भूमि का स्वामित्व भी आय का स्थायी साधन है अतः ओबीसी वर्ग में शामिल विभिन्न जातियों के मध्य सिंचित /अर्धसिंचित कृषि भूमि के स्वामित्व के आधार पर तुलना करना भी जरूरी हो जाता है जिसके लिए वैकल्पिक विधि निम्नानुसार हो सकती है।

ओबीसी वर्ग की विभिन्न जातियों के मध्य आर्थिक व सामाजिक गणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर सीलिंग सीमा के 70 प्रतिशत या उससे अधिक सिंचित/अर्धसिंचित कृषि भूमि धारण करने वाले परिवारों की संख्या की उनकी कुल जनसंख्या से तुलना कर जिन जातियों में ऐसे भूमिधारी परिवारों का अनुपात अधिक हो उन्हें संपन्न ओबीसी के अन्तर्गत अलग उपश्रेणी में रखा जाना चाहिए।

(4) अन्य मापदण्ड उपर्युक्त मुख्य मापदण्डों के अतिरिक्त (अ) पंचायती राज के अधीन विभिन्न पदों पर निर्वाचित ओबीसी के उम्मीदवारों में विभिन्न जातियों का अनुपात (ब) चौपहिया व अन्य उच्च श्रेणी के वाहनों के स्वामित्व के आधार पर

ओबीसी का उपश्रेणीकरण व न्यायिक बाधायें :–

इन्द्रा साहनी V/S भारत संघ (1992) के वाद में 9 सदस्यीय संविधान पीठ (S.C) ने अपने निर्णय में ओबीसी वर्ग के उपश्रेणीकरण को कार्यपालिका विधायिका का कार्य मानते हुये इस पर किसी प्रकार की न्यायिक बाधा से इन्कार किया था[15] मगर ओबीसी के उपश्रेणीकरण को फिर भी निम्न आधारों पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

(अ) ओबीसी के उपश्रेणीकरण के आधार व मापदण्ड के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी उपश्रेणीकरण हेतु अपनाये गये मापदण्डों की युक्तियुक्तता का परीक्षण कर सकता है तथा वैज्ञानिक व प्रामाणिक ढंग से आंकड़े प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में ऐसे उपश्रेणीकरण पर रोक भी लगा सकता है।

ओबीसी उपश्रेणीकरण व आगामी संभावनाएँ :–

अभी तक नवीन ओबीसी आयोग का गठन पूरा नहीं हो पाया है साथ ही सरकार द्वारा इसके लिए निर्धारित 12 सप्ताह का कार्यकाल भी इसके लम्बे चौड़े कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफी न्यून है जिसे संभवतः भविष्य में बढ़ाना होगा तथापि ओबीसी उपश्रेणीकरण की दिशा में सार्थक शुरूआत हो चुकी है और आशा की जानी चाहिए कि आगामी 2 वर्षो में सामाजिक न्याय की वास्तविक स्थापना तथा ओबीसी आरक्षण के लाभ का समतामूलक बंटवारा करने की दिशा में युगान्तकारी कार्य सम्पन्न होगा जिसका असर आगामी समय में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण के उपश्रेणीकरण की मांग के रूप में भी दिखाई देगा।

---

1. मनोविज्ञान और सामाजिक समसस्याएँ : मोहम्मद सुलेमान एवं दिनेशकुमार पृ. 231
2. काका कालेलकर आयोग (प्रथम ओबीसी आयोग) की रिपोर्ट – (IInd ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पृ. 1 से उद्धत)

3. बालाजी V/S मैसूर वाद सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (AIR 1963S.C 649)
4. द्वितीय ओबीसी आयोग (मण्डल आयोग) की रिपोर्ट पृ. 16 अध्याय – 4, अध्याय 12 पृ. 48
5. इन्द्रा साहनी V/S भारत संघ वाद – 1992 भारत का संविधान एक परिचय डीडी बसु, पृ. 120
6. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 भारत का संविधान एक परिचय डीडी बसु, पृ. 489
7. केन्द्रीय केबिनेट का निर्णय दिनांक 23.08.2017 स्त्रोत pib.nic.in
8. ओबीसी आयोग (राजपत्र प्रकाशन) The NCBC Act 1993 (no 270/1993/2) अप्रैल 1993
9. RPSC की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2012–13 से 2014–15
10. ओबीसी आयोग राजस्थान की वर्ष 2001 से 2012 की रिपोर्ट अध्याय 9.6
11. प्रथम ओबीसी आयोग रिपोर्ट, द्वितीय ओबीसी आयोग रिपोर्ट (1980) B.P मण्डल द्वारा राष्ट्रपति को बिन्दु 10 अग्रेषण पत्र
12. द्वितीय ओबीसी आयोग रिपोर्ट, अध्याय 9, पृ. 33
13. द्वितीय ओबीसी आयोग रिपोर्ट, अध्याय 11, पृ. 47
14. इन्द्रा साहनी V/S भारत संघ वाद – 1992
15- केन्द्रीय केबिनेट का निर्णय 02.10.2017– स्त्रोत pib.nic.in